सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 57 / 2018 अपील (RCMS/2018/00064)
पंजीयन दिनांक – 08.05.2018
निर्णय दिनांक – 18.07.2018

1. श्रीमती रूकमणी पत्नि श्री रामचन्द्र बलाई, निवासी कनेरा, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़।

–अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़।

– रेस्पोडेन्टस्

उपस्थितिः–
1. श्री नरेश जणवा – वकील अपीलान्ट
2. श्री योगेन्द्र दशोरा – वकील रेस्पोडेंट

अपील अर्न्तगत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा, प्रकरण संख्या 3601 / 2016 दिनांक 25.04.2018

निर्णय

दिनांक 18.07.2018

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अर्न्तगत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा, प्रकरण संख्या 3601 / 2016 दिनांक 25.04.2018 के विरुद्ध पेश की गई है।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया कि मौजा कनेरा की खाता संख्या 282 के आराजी न. 1694 रकबा 0.3300 भूमि स्थित है। यह आराजी प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त में चली आ रही है। सेटलमेण्ट पूर्व उक्त आराजी का नक्शे में तरमीम नहीं था, परन्तु सेटलमेण्ट के बाद नये नक्शे में उसे गलत जगह तरमीम कर दिया गया है। उक्त आराजीयात के पुराने नम्बर 949 / 24 रकबा 10 बिस्वा व आराजी

न. 949/43 रकबा 1 बीघा होकर नये आराजी न. 1694 रकबा 0.3300 हैक्टेयर है। पूर्वानुसार अपीलान्ट का कब्जा चला आ रहा है, परन्तु सेटलमेंट उपरान्त नवीन नक्शे में गलत तरमीम कर दी गई है। मौके अनुसार तरमीम नहीं होने से राजस्व रेकार्ड में संशोधन किया जाना आवश्यक है। जिससे अपीलान्ट ने खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात का मौके पर काबिज अनुसार नवीन नक्शा ट्रेस में इन्द्राज दुरस्त कर तरमीम किये जाने के आदेश बाबत अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर निर्णय दिनांक 25.04.2018 पारित किया गया। इससे व्यथीत होकर उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। उभय पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित जिनकी बहस दिनांक 18.07.2018 को सूनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेकार्ड पर यह बात भली प्रकार से थी कि साबिक आराजी नम्बर 949/24 एवं 949/43 कुल किता 02, रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा भूमि जिसका राजस्व रेकार्ड में तरमीम नहीं थी, जिसके हाल आराजी नम्बर 1694, रकबा 0.3300 हैक्टेयर बने है, जो अपीलान्ट के नाम राजस्व रेकार्ड में खातेदारी दर्ज है, परन्तु दौराने पेमाईश जहां अपीलान्ट काबिज है, उक्त भूमि को राजस्व रेकार्ड में आबादी बता दी है और राजस्व रेकार्ड में जो भूमि अपीलान्ट के नाम दर्ज की है, वहा आबादी है, जिस बाबत ग्राम पंचायत ने भी अनापत्ति पत्र पेश किया है तथा रेस्पोडेंट ने भी अपने जवाब में उक्त गलती को स्वीकार किया है एवं दुरूस्त किया जाना उचित माना है। जांच रिपोर्ट पटवारी भी बनी है, जिसमें भी उक्त बात स्पष्ट है, जिससे स्पष्ट है कि राजस्व रेकर्ड के नक्शे की स्थिति एवं मौके की भौतिक स्थिति में दौराने पैमाईश गलत इन्द्राज हुआ है और उसे दुरस्त किया जाना था, बावजुद इसके अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मन मकसुद तरीके से रेकर्ड का अवलोकन करते हुए यह माना कि अपीलान्ट प्रार्थना पत्र साबित करने में असमर्थ रही है इसलिये प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है, का आदेश पारित कर प्रार्थना पत्र खारिज करने में भारी कानूनी एवं वाक्यिाती भूल की है और भूलकर जो आदेश पारित किया है, वो निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने ग्राम पंचायत की रिपोर्ट को नजरअंदाज करते हुए प्रार्थना पत्र निरस्त करने का आदेश किया जो निरस्त योग्य है। उक्त आदेश में कोई उचित कारण भी अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किये जाने का अनुरोध किया है।

विद्वान वकील रेस्पोडेंट ने बताया कि साबिक नक्शा ट्रेस में विवादित भूमि की तरमीम नहीं होने से अपीलान्ट के कथन साबित नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र विधि अनुरूप निरस्त किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जाने का अनुरोध किया है।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन किया। प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि पटवारी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एवं तहसीलदार निम्बाहेड़ा की रिपोर्ट एवं ग्राम पंचायत द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र से नक्शा ट्रेस में अंकित आराजी संख्या 1694 एवं 1688 का नक्शे में तरमीम का अंकन गलत दर्ज होना स्पष्ट जाहिर होता है। ऐसी स्थिति में हम आराजी नं. 1688 में से 0.3300 है0 भूमि पटवारी द्वारा प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार अपीलान्ट के नाम दर्ज किये जाने एवं आराजी नं. 1694 रकबा 0.3300 है जो कि खातेदार अपीलान्ट के नाम पर दर्ज है उसे आबादी होना प्रस्तावित किया गया है। तद्नुसार नक्शे में तरमीम किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। उपखण्ड़ अधिकारी निम्बाहेड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.04.2018 अपास्त किया जाकर तहसीलदार निम्बाहेड़ा को निर्देशित किया जाता है कि मौके, कब्जे एवं पटवारी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अनुसार नक्शा ट्रेस में अंकन किया जावे।

निर्णय आज दिनाक 18.07.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर